बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
बिहार सरकार का एक उपक्रम
वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in
BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
A Government of Bihar Undertaking
Website: www.bsbccl.bih.nic.in

BSBCCL
Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC01351313

पत्रांक– बी0एस0बी0सी0सी0एल–200/2016(वित्त)/ –3745 दिनांक–26/12/19

कार्यालय आदेश सं0:–.......93.................

दिनांक-30.11.2019 को मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला के दौरान कुल 13 मापदंडों पर निगम के विभिन्न कार्यकलापों पर 30 विभिन्न संवेदकों द्वारा 05 पैमानों पर दी गई प्रतिकियाओं के संबंध में दिनांक 14.12.2019 को प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विमर्शोपरांत निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लिये आवंटन/भुगतान की प्रकिया को सरल बनाने हेतु निम्न निर्णय लिये गये है:-

1) परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों के संबंधित उपमहाप्रबंधकों द्वारा पी0एम0आई0एस0 में प्रविष्टि के उपरांत डाउनलोडेड अधियाचना को हस्ताक्षरित कर निम्नलिखित अभिलेखों सहित महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण) को समर्पित किया जायेगा :-

   न्यूनतम एक गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन (सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय/सरकारी संस्थान अथवा परियोजना कार्यान्वयन इकाई के प्रयोगशाला अथवा संवेदक द्वारा साईट पर लगाये गये प्रयोगशाला का)। अधियाचना कार्य के जिस स्तर के लिये की जा रही होगी, गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन उसी स्तर से संबंधित होना चाहिये। (उपमहाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित)

   i. किसी परिस्थितिवश कभी यदि परियोजना कार्यान्वयन इकाई का प्रयोगशाला अथवा संवेदक द्वारा साईट पर लगाया गया प्रयोगशाला दोनों ही कार्यरत न हो अथवा खराब हो तो किसी मान्यताप्राप्त Third Party Agency के प्रयोगशाला से जाँचफल प्राप्त कर अधियाचना के साथ संलग्न किया जा सकता है। (संबंधित उपमहाप्रबंधक द्वारा उपर्युक्त आशय की सूचना देते हुये एक शपथ पत्र अधियाचना के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।)

   ii. संबंधित एम0बी0 एवं Abstract की छायाप्रति।

   iii. कार्य स्थल का 2 अद्यतन फोटोग्राफ। अधियाचना कार्य के जिस स्तर के लिये की जा रही होगी, फोटो उसी स्तर से संबंधित होना चाहिये। (उपमहाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित)

   iv. निदेशक पर्षद के 40वीं बैठक के निर्णय के आलोक में सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय/सरकारी संस्थान से गुणवत्ता प्रतिवेदन अनिवार्य किया गया है। अधियाचना की तिथि तक सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय/सरकारी संस्थान से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त न हो सकने की स्थिति में निम्नांकित जानकारी अधियाचना के साथ उपमहाप्रबंधक द्वारा भेजी जायेगी।

      a) सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय/संस्थान को जाँच हेतु समान स्तर का सैंपल भेजने की स्थिति : <u>हाँ/नहीं</u>
      b) सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय/संस्थान को समान स्तर का सैंपल भेजने का प्रसंग : <u>पत्रांक/दिनांक</u>
      b) सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय/संस्थान से जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति की संभावित तिथि : <u>दिनांक</u>

   उपर्यक्त कंडिका 1(iv) (a) में "नही" की स्थिति में अधियाचना महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण) द्वारा पी0आई0यू0 को वापस कर दी जायेगी।

निबंधित कार्यालय: बी0एस0बी0सी0सी0एल, हॉस्पीटल रोड, शास्त्री नगर, पटना-800023, दूरभाष: +91-612-2284861, फैक्स: +91-612-2280324, मेल:bsbccl.patna@gmail.com
Registered Office: BSBCCL, Hospital Road, Shastri Nagar, Patna – 800023, Telephone No.: +91-612-2284861, Fax: +91-612-2280324, Email: bsbccl.patna@gmail.com

2) संबंधित उपमहाप्रबंधकों से अधियाचना प्राप्ति के उपरांत महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण) द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जायेगी :-

i. संलग्न गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन की जाँच।

ii. संलग्न एम0बी0/Abstract/फोटोग्राफ की जाँच।

iii. संलग्न पी0एम0आई0एस0 में प्रविष्टि के उपरांत डाउनलोडेड अधियाचना में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति/निविदा स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति आदि के लिये अंकित राशि तथा सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय/सरकारी संस्थान से संबंधित प्रविष्टि की जाँच।

iv. तत्पश्चात उपरोक्त सभी जानकारियाँ सही अंकित होने एवं सभी अभिलेखों के प्रासंगिक होने के एक Declaration सहित महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण) द्वारा पी0आई0यू0 से प्राप्त अधियाचना को महाप्रबंधक (वित्त) को अनुशंसा सहित भुगतान हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

v. पी0आई0यू0 से प्राप्त एम0बी0/Abstract/फोटोग्राफ का संधारण उनके द्वारा योजना के संबंधित संचिका में अलग से की जायेगी।

vi. महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण) द्वारा पी0आई0यू0 से प्राप्त अधियाचना तथा गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति उसी वक्त महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण) को भी उनके कोषांग से संबंधित कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी।

vii. संबंधित उपमहाप्रबंधकों से अधियाचना प्राप्ति के उपरांत उसी कार्य दिवस को महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण) द्वारा जाँचोपरांत अधियाचना महाप्रबंधक (वित्त) को निश्चित रुप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

3) महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण) से अधियाचना प्राप्ति के उपरांत महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जायेगी :-

i. संलग्न पी0एम0आई0एस0 में प्रविष्टि के उपरांत डाउनलोडेड अधियाचना में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति/निविदा स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति आदि के लिये अंकित राशि की जाँच।

ii. पूर्व में संबंधित योजना के लिये आवंटित राशि एवं अवशेष राशि की जाँच।

iii. योजना पर भारित सेंटेज, परामर्शी शुल्क आदि की जाँच।

iv. महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण) से अधियाचना प्राप्ति के उपरांत अगले कार्य दिवस तक महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा जाँचोपरांत अधियाचना मुख्य महाप्रबंधक को निश्चित रुप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

4) महाप्रबंधक (वित्त) से अधियाचना प्राप्ति के उपरांत अगले कार्य दिवस तक मुख्य महाप्रबंधक, द्वारा अधियाचना अनुशंसा सहित प्रबंध निदेशक के अनुमोदन हेतु अग्रसारित कर दी जायेगी।

5) प्रबंध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत मुख्य महाप्रबंधक द्वारा उसी कार्य दिवस को अधियाचना महाप्रबंधक (वित्त) को भुगतान हेतु अग्रसारित कर दी जायेगी।

6) मुख्य महाप्रबंधक से अधियाचना अग्रसारण के उपरांत महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा उसी कार्य दिवस को CFMS के माध्यम से संबंधित परियोजना कार्यान्वयन इकाई को भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।

7) प्रत्येक अधियाचना प्राप्ति के साथ-साथ महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण) द्वारा समानांतर रुप से योजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु की जाने वाली कार्रवाई निम्नरुपेण हैः-

i. महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण) से अधियाचना एवं सभी अनुलग्नक प्राप्त होने के उपरांत उक्त योजना की संचिका खोली जायेगी।

ii. जिन अधियाचनाओं के साथ सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय/सरकारी संस्थान का गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन संलग्न नही किया गया होगा उन्हें संबंधित परियोजना कार्यान्वियन इकाईयों से लगातार समन्वय कर प्राप्त करेंगे तथा जाँचोपरांत संबंधित संचिका में संधारित करेंगे।

iii. प्रत्येक माह के अंत में प्राप्त अधियाचनाओं से संबंधित पी0आई0यू0 स्तर से लंबित गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदनों के प्राप्ति के संदर्भ में समीक्षा करेंगे तथा पत्र के माध्यम से संबंधित उपमहाप्रबंधक से उक्त की माँग करेंगे। स्मारित किये जाने के उपरांत भी किसी उपमहाप्रबंधक से वांछित गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन प्राप्त न होने या संतोषप्रद न होने की स्थिति में वैसी योजनाओं को चिन्हित कर Performance Committee में रखेंगे।

iv. परियोजना कार्यान्वियन इकाइयों में प्रत्येक कार्य स्थलों पर गुणवत्ता जाँच रजिस्टर रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें योजना से संबंधित सभी गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदनों को परियोजना कार्यान्वियन इकाईयों द्वारा नियमित रुप से संधारित किया जायेगा। समय-समय पर मुख्यालय स्तर से पदाधिकारियों के स्थल निरीक्षण के दौरान उक्त रजिस्टर की जाँच आवश्यक होगी।

v. वैसी योजनाएँ जिनमें गुणवत्ता के संदर्भ में कोई भी Compliance पी0आई0यू0 स्तर से Performance Committee द्वारा दिये गये निर्देश/समय सीमा के उपरांत भी लंबित होगा उसकी सूचना लिखित में संबंधित महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक (वित्त) को देंगे। किसी भी परिस्थिति में वैसी योजनाएँ जिनके लिये उक्त प्रकार का Compliance लंबित होगा, उनके लिये प्राप्त अधियाचना का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक Compliance न हो जाये तथा इसकी लिखित सूचना महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण) द्वारा संबंधित महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक (वित्त) को न दे दी जाये। आई0टी0 मैनेजर द्वारा इस प्रकार की योजनाओं का प्रदर्शन PMIS पर भी किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

8) पी0आई0यू0 द्वारा मुख्यालय में समर्पित अधियाचना पर आवंटन से संवेदकों को संपादित कार्य के आलोक में वास्तविक भुगतान की पूर्ण जवाबदेही संबंधित क्षेत्रीय उपमहाप्रबंधक की होगी। उपमहाप्रबंधक नियमानुसार एवं कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुये हीं संवेदकों को भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के आलोक में सभी संबंधितों को निदेश दिया जाता है कि निधि आवंटन हेतु पी0आई0यू0 द्वारा अधियाचना, प्राप्त अधियाचना पर संबंधित महाप्रबंधकों द्वारा आवंटन हेतु अनुशंसा/आवंटन विमुक्ति एवं संबंधित पी0आई0यू0 द्वारा संबंधित संवेदकों को भुगतान की कार्रवाई सभी वैधानिक कटौतियों सहित सुनिश्चित करेंगे।

ह/0–

(राकेश कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक

ज्ञापांक– 3745 पटना/दिनांक– 26/12/19

प्रतिलिपि:–सभी महाप्रबंधक, कंपनी सचिव, वरीय वास्तुविद, सभी उप महाप्रबंधक मुख्यालय/(पी0आई0यू0), परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप महाप्रबंधक पी0आई0यू0 अपने पाक्षिक बैठक में उक्त आदेश की सूचना सभी संवेदको को भी देना सुनिश्चित करेंगे।

26/12/19

(राकेश कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक